रिपोर्टेबल

भारतीय उच्चत्तम न्यायालय

क्रिमिनल अपीलेट क्षेत्राधिकार

क्रिमिनल अपील संख्या. 688/ 2019

क्रिमिनल एस. एल. पी. संख्या . 8315/2018

मंजू देवी ..... अप्पेलांट

बनाम

राजस्थान सरकार .....रेस्पोंडेंट

निर्णय

<u>दिनेश माहेश्वरी जस्टिस.</u>

1. अनुमति दी ।

2. अतिरिक्त सत्र न्यायालय न्यायाधीश रतनगढ़, जिला चूरू (राजस्थान),के सेशन प्रकरण संख्या 05 /2015 में आरोपी-प्रतिवादी संख्या २ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 304-बी और 498-ए के तहत अपराधों के लिए अन्वीक्षा का सामना कर रहा है चूँकि उसकी पत्नी की मृत्यु अप्राकृतिक परिस्थितियों में नाइजीरिया में हो गयी । अपीलकर्ता, मृतका

की माँ, ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत उक्त प्रकरण में एक आवेदन दिया जिसमे एक डॉ आई यूसुफ को बुलाने की मांग (जिन्होंने पहले नाइजीरिया में अपीलकर्ता की बेटी के मृत शरीर का पोस्टमॉर्टम किया था) नाइजीरियन दूतावास के माध्यम से अथवा साक्ष्य को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लेने के उद्देश्य के लिए एक कमीशन जारी करने के बाद साक्ष्य दर्ज करने का निवेदन किया.

2.1 31.05.2018 के अपने आदेश द्वारा , ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता की अर्जी को खारिज कर दिया चूँकि अन्वीक्षा पिछले 8 वर्ष से लंबित थी और यह कि डॉ युसूफ का बयान दर्ज करना आवश्यक नहीं था क्योंकि उनके द्वारा तैयार पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक प्रति को पहले से ही प्रदर्शित किया जा चूका था। अपीलकर्ता ने राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में क्रिमिनल मिसलेनियस पेटिशन संख्या 2282 / 2018 के माध्यम से ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश पर सवाल उठाने का प्रयास किया हालांकि, उच्च न्यायालय उक्त याचिका को यह देखते हुए दिनांक 02.08.2018 के आदेश के साथ

खारिज कर दिया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा विवेक के अभ्यास में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था । उत्तेजित, अपीलकर्ता ने इस अपील को स्पेशल अनुमति से पसंद किया है।

3. वर्तमान उद्देश्य के लिए अब तक प्रासंगिक पृष्ठभूमि पहलुओं, पर संक्षेप में, ध्यान दिया गया जो इस प्रकार है:

3.1 अभियोजन का मामला यह है कि अपीलकर्ता की मृतक बेटी की राजलदेसर पर दिनांक 21.04.2008 को आरोपी-प्रतिवादी संख्या 2 से शादी की गई थी; वह अपने पति के पिता और उसकी माँ के साथ अपने वैवाहिक घर में रह रही थी और बाद में वह बैंगलोर जाकर रहने लगी और उसके बाद नाइजीरिया अपने पति के साथ चली गई पर दहेज की मांग के साथ नियमित रूप से परेशान किया जाता था। यह आरोपित है की दिनांक 14.01.2010 को अपीलकर्ता की बेटी, जोकि अपने पति के साथ नाइजीरिया में रहते हुए (आरोपी-प्रतिवादी संख्या 2) की अप्राकृतिक रूप से ऐसे हालात में मृत्यु हो गई जब उसे उसके कमरे की छत पर लगे पंखे से लटकते हुए पाया गया पुलिस

स्टेशन राजलदेसर जिला चूरू में 2010 की एफआईआर नंबर 10 अपीलकर्ता के पति (मृतक के पिता) द्वारा यह आरोप लगाते हुए दर्ज कराई गई थी कि उनकी बेटी को दहेज के लिए लगातार मांगों के साथ परेशान किया गया था और उसके साथ इस हद तक क्रूरता की गयी थी कि अंततः यह नाइजीरिया में उसकी मौत का कारण बनी।

3.2 अपीलकर्ता की बेटी के मृत शरीर का पहला पोस्टमार्टम अमीनू कानू टीचिंग अस्पताल, नाइजीरिया में डॉ आई यूसुफ द्वारा दिनांक 16 .01 .2010 को किया गया, जिन्होंने जांच की, उनकी राय थी कि मृत्यु का कारण " असफिक्सिआ सेकेंडरी to स्ट्रैंगुलशन " है। तत्पश्चात, अपीलकर्ता की बेटी के मृत शरीर को भारत लाया गया जहाँ आगे पोस्टमार्टम के लिए एक मेडिकल बोर्ड गठित किया गया लेकिन मेडिकल बोर्ड ने कहा कि अपीलकर्ता की बेटी की मृत्यु के समय व कारण के बारे में निश्चित राय नहीं बनाई जा सकती है। जांच के बाद, प्रतिवादी नंबर २ के विरुद्ध आरोप-पत्र दायर किया गया था जोकि भारतीय दंड संहिता की धारा

302, 304-बी और 498-ए के तहत अपराधों के लिए पेश किया गया।

3.3 अन्वीक्षा में , अभियोजन पक्ष ने अपने साक्ष्य का नेतृत्व किया और विभिन्न गवाहो का परिक्षण करवाया गया लेकिन चूँकि बोर्ड के सदस्य मृत्यु के कारण को लेकर कोई निश्चित राय नहीं दे पाए, धारा 311 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन अपीलकर्ता द्वारा उक्त डॉ आई यूसुफ पैथोलॉजी विभाग, अमीनू कानू शिक्षण अस्पताल, नाइजीरिया को सम्मन जारी करने के लिए किया गया, जिनके द्वारा नाइजीरिया में पहले अपीलकर्ता की बेटी के शव का पोस्टमार्टम किया, ताकि उनका चिकित्सकीय गवाह के रूप में जांच की जा सके। यह भी विकल्प में प्रस्तुत किया गया है कि उक्त चिकित्सक की साक्ष्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज की जा सकती है।

4. जैसा कि देखा गया है कि 31.05.2018 को ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में उक्त आवेदन को मामला वर्ष 2010 से लंबित होने का अवलोकन करते हुए खारिज कर दिया और, चूँकि नाइजीरिया में बनायीं गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट की

फोटोकॉपी के रूप में रिकॉर्ड पर उपलब्ध थी इसलिए डॉ आई यूसुफ का बयान को रिकॉर्ड करने की कोई आवश्यकता नहीं थी । ट्रायल कोर्ट ने यह भी माना कि मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट की इच्छा का प्रभाव की जांच अंतिम निर्णय के समय की जाएगी.

5. उक्त आदेश के विरुद्ध, अपीलार्थी ने राजस्थान उच्च न्यायलय जोधपुर के समक्ष धारा 482 सीआरपीसी के तहत आपराधिक मिसलेनियस पेटिशन दायर की जिसमे यह तर्क रखा गया की डॉ आई युसूफ प्रकरण से सम्बंधित एक अहम् गवाह था और अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह को अवैध रूप से उद्धृत करने के लिए एक गवाह के रूप में छोड़ दिया गया था। हालांकि, उच्च न्यायालय द्वारा याचिका को आदेश दिनांक दो अगस्त दो हज़ार अठारह को खारिज कर दिया गया था जिसमे समग्र रूप से मामले के तथ्य और परिस्थितियो का अवलोकन करते हुए यह आदेशित किया की अन्वीक्षण न्यायालय द्वारा अपने विवेक का इस्तेमाल करने में कोई हस्तशेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

6. पूर्वोक्त आदेश पर प्रकाश डालते हुए , अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने जोर डालते हुए यह तर्क दिया गया कि ट्रायल

कोर्ट और हाई कोर्ट डॉ आई यूसुफ के साक्ष्य की प्रासंगिकता की सराहना करने में विफल रहे हैं जिन्होंने अपीलकर्ता की बेटी के मृत शरीर का पहला पोस्टमार्टम किया और इनकी गवाही इस प्रकरण में उचित निर्णय पर पहुंचने के लिए आवश्यक है। विद्वान् अधिवक्ता यह प्रस्तुत करेगा कि आवेदन को खारिज करने का ट्रायल कोर्ट का आदेश के इस आधार कि मुकदमा पिछले 8 वर्षों से लंबित था, मामले के लिए विवेकपूर्ण दृष्टिकोण नहीं है ; और यह कि ट्रायल कोर्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महत्वपूर्ण साक्ष्य रिकॉर्ड पर आये ताकि सही निष्कर्ष पर पंहुचा जा सके ।

7. आरोपी-प्रतिवादी नंबर २ के विद्वान् अधिवक्ता ने इस आदेश के साथ दिए गए विचारण का समर्थन किया है कि अपीलकर्ता धारा 311 सीआरपीसी के तहत निराधार आवेदन के साथ मुकदमे को लम्बा करने का प्रयास कर रहा है । विद्वान् अधिवक्ता के अनुसार, ट्रायल कोर्ट ने होशपूर्वक आवेदन खारिज करने का अपने विवेक का इस्तेमाल किया है और उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने के लिए सही मना किया है।

8. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ पर विचारशील विवेचन करने पर और लागू कानून के संदर्भ में रिकॉर्ड की जांच करने पर, हमें स्वीकृत आदेशों को अनुमोदित करना मुश्किल लगता है और यह सही और उचित प्रतीत होता है कि धारा 311 सीआरपीसी के तहत इस मामले में प्रस्तुत आवेदन को अनुमति दी जानी चाहिए और पहला पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की गवाही रिकॉर्ड पर सुनिश्चित करने के लिए ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया जाता है ।

9. धारा 311 सीआरपीसी

“311. Power to summon material witness, or examine person present. Any Court may, at any stage of any inquiry, trial or other proceeding under this Code, summon any person as a witness, or examine any person in attendance, though not summoned as a witness, or recall and re- examine any person already examined; and the Court shall summon and examine or recall and re- examine any such person if his evidence appears to it to be essential to the just decision of the case.”

9.1 यह शायद ही जोर देने की जरूरत है कि उन जैसी विवेकाधीन शक्तियां अंतर्गत धारा 311 सीआरपीसी के तहत अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करना है कि हर न्यायालय द्वारा आवश्यक और उचित उपाय किये जा चुके हो रिकॉर्ड सही रखे व साक्ष्य के रूप में अब तक किसी भी अस्पष्टता को सीधे और स्पष्ट करने के लिए यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि किसी को कोई पूर्वाग्रह न हो। धारा 311 Cr. P. C. का सिद्धांत व न्यायालय की शक्तियों की व्याख्या इस न्यायालय ने निचे दिए गए न्यायियक निर्णय में दे गयी है । नताशा सिंह बनाम सी बी. आई सरकार (2013) 5 SCC 741 में हालाँकि प्रार्थना पत्र बाबत गवाहों के परिक्षण के लिया अभियुक्त ने प्रस्तुत किया था मगर इस न्यायालय ने धारा 311 के अंतर्गत न्यायालय की शक्तियों की व्याख्या करते हुए कहा है की –

" 8. Section 311 CrPC empowers the court to summon a material witness, or to examine a person present at "any stage" of "any enquiry", or "trial", or "any other proceedings" under CrPC, or to summon any person as a witness, or to recall and re-examine any person who has already been examined if his evidence appears to it, to be essential to the arrival of a just

decision of the case. Undoubtedly, the CrPC has conferred a very wide discretionary power upon the court in this respect, but such a discretion is to be exercised judiciously and not arbitrarily. The power of the court in this context is very wide, and in exercise of the same, it may summon any person as a witness at any stage of the trial, or other proceedings. The court is competent to exercise such power even suo motu if no such application has been filed by either of the parties. However, the court must satisfy itself, that it was in fact essential to examine such a witness, or to recall him for further examination in order to arrive at a just decision of the case."

15. The scope and object of the provision is to enable the court to determine the truth and to render a just decision after discovering all relevant facts and obtaining proper proof of such facts, to arrive at a just decision of the case. Power must be exercised judiciously and not capriciously or arbitrarily, as any improper or capricious exercise of such power may lead to undesirable results. An application under Section 311 CrPC must not be allowed only to fill up a lacuna in the case of the prosecution, or of the defence, or to the disadvantage of the accused, or to cause serious prejudice to the defence of the accused, or to give an unfair advantage to the opposite party. Further, the additional evidence must not be received as a disguise for retrial, or to change the nature of the case against either of the parties. Such a power must be exercised, provided that the evidence that is likely

to be tendered by a witness, is germane to the issue involved. An opportunity of rebuttal however, must be given to the other party. The power conferred under Section 311 CrPC must therefore, be invoked by the court only in order to meet the ends of justice, for strong and valid reasons, and the same must be exercised with great caution and circumspection. The very use of words such as "any Court", "at any stage", or "or any enquiry, trial or other proceedings", "any person" and "any such person" clearly spells out that the provisions of this section have been expressed in the widest possible terms, and do not limit the discretion of the Court in any way. There is thus no escape if the fresh evidence to be obtained is essential to the just decision of the case. The determinative factor should therefore be, whether the summoning/recalling of the said witness is in fact, essential to the just decision of the case."

10. इस मामले की निर्विवाद तथ्य स्थिति यह है कि अपीलकर्ता की बेटी की नाइजीरिया में 14.01.2010 को प्राकृतिक मृत्यु हो गई, जहाँ वह अपने पति (प्रतिवादी नंबर 2) के साथ रह रही थी, जो मुकदमे में धारा 302, 304-बी और 498-ए आईपीसी के तहत अपराध के लिए अन्वीक्षा भुगत रहा है जोकि अपीलकर्ता की बेटी के मृत शरीर का पहला पोस्टमार्टम दिनांक 16.01.2010 को अमीनू कानू टीचिंग हॉस्पिटल, नाइजीरिया के अंदर किया गया जोकि उक्त डॉ

आई यूसुफ द्वारा किया गया. नाइजीरिया में उक्त चिकित्सक द्वारा तैयार पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक प्रति, निश्चित रूप से, रिकॉर्ड पर पेश की गई है जिसमें मृत्यु का कारण " asphyxia secondary to strangulation " बताया गया है। हालांकि अपीलकर्ता की बेटी के शव को 29.01.2010 को भारत लाया गया था पोस्टमार्टम कराने के लिए और मेडिकल बोर्ड गठित किया गया था, लेकिन तब बोर्ड ने पाया कि मृत्यु के समय और कारण के बारे में निश्चित राय नहीं दी जा सकती है। जांच एजेंसी ने , सबसे अच्छी तरह से खुद को ज्ञात कारणों के लिए, उक्त डॉक्टर का हवाला नहीं दिया, जिन्होंने साक्षी के रूप में नाइजीरिया में पहला पोस्टमार्टम किया था। ये भी आरोपी की ओर से ऐसा मामला नहीं है कि नाइजीरिया में तैयार पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिनांक 16.01. 2010 की प्रति विवादित नहीं थी और / या वह उक्त डॉक्टर से जिरह करने की कोशिश नहीं करेगा, अगर वह गवाह के रूप में इस प्रकरण में परीक्षित होता है। इस प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों यह स्पष्ट है कि नाइजीरिया में पहला पोस्टमार्टम करने वाले उक्त डॉक्टर की गवाही है इस मामले में शामिल प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है, और इस प्रकरण के न्यायोचित निर्णय के लिए दोनों पक्षों

को अपने मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त अवसर के साथ मामले में धारा 311 सीआरपीसी के तहत आवेदन को अनुमति दी जानी चाहिए।

11. मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ या तो ट्रायल कोर्ट द्वारा नजरअंदाज किया गया या बहुत अजीबोगरीब ढंग से निपटा गया है इस सोच के साथ की मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के उपलब्ध न होने का प्रभाव मामले के अंतिम निपटारन के समय पर विचार किया जायेगा । वास्तव में, मुख्य कारण जिससे विचारण न्यायालय के कारण का बल मिलता है कि उक्त प्रकरण वर्ष 2010 से मामला लंबित था जिसकी वजह से उक्त गवाह का परीक्षित कराने से इंकार किया । दूसरी ओर, उच्च न्यायालय ने अपनी धारा 482 सीआरपीसी के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग नहीं करने का फैसला किया ।

12. हालांकि यह उम्मीद की जाती है की सेशन प्रकरण के मामले की सुनवाई उचित अभियान से आगे बढ़े व इस तरह के मामले में लगभग 8-9 वर्षों की लम्बी अवधि तक लंबित होना सही नहीं है लेकिन किसी मामले की लंबाई / अवधि के कारण प्रकरण के न्यायोचित फैसले की बुनियादी आवश्यकता को विस्थापित नहीं किया जा सकता है और

रिकॉर्ड पर संपूर्ण सामग्री साक्ष्य आने के बाद। दूसरे शब्दों में, एक मामले की उम्र, अपने आप से, मामले की निर्णायक नहीं हो सकती है जब एक मुख्य साक्षी की परीक्षा के लिए प्रार्थना की गयी हो ।

13. इस प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में, जहां गवाह डॉ आई यूसुफ नाइजीरिया में रह रहा है और परीक्षण न्यायालय निश्चित रूप से उसके बयान की रिकॉर्डिंग के उद्देश्य से व मामले में देरी से बचने के लिए और पार्टियों और गवाह को असुविधा न होने देने के लिए धारा 284 और 285 सीआरपीसी के प्रावधानों का सहारा ले सकता था धारा 284 और 285 सीआरपीसी निम्नानुसार पढ़ें: -

Section 284 **When attendance of witness may be dispensed with and commission issued**

1. Whenever, in the course of any inquiry, trial or other proceeding under this Code, it appears to a Court of Magistrate that the examination of a witness is necessary for the ends of justice, and that the attendance of such witness cannot be procured without an amount of delay, expense or inconvenience which, under the circumstances of the case, would be unreasonable, the Court or Magistrate may dispense with such attendance and may issue a commission for

the examination of the witness in accordance with the provisions of this Chapter:

Provided that where the examination of the President or the Vice-President of India or the Governor of a State or the Administrator of a Union Territory as a witness is necessary for the ends of justice, a commission shall be issued for the examination of such a witness.

2. The Court may, when issuing a commission for the examination of a witness for the prosecution direct that such amount as the Court considers reasonable to meet the expenses of the accused including the pleader's fees, be paid by the prosecution.

Section 285 **Commission to whom to be issued**

1. If the witness is within the territories to which this Code extends, the commission shall be directed to the Chief Metropolitan Magistrate or Chief Judicial Magistrate, as the case may be, within whose local jurisdiction the witness is to be found.

2. If the witness is in India, but in a State or an area to which this Code does not extend, the commission shall be directed to such Court or officer as the Central Government may, by notification specify in this behalf.

3. If the witness is in a country or place outside India and arrangements have been made by the Central Government with the Government of such country or place for taking the evidence of witnesses

in relation to criminal matters, the commission shall be issued in such form, directed to such Court or officer, and sent to such authority for transmission as the Central Government may, by notification prescribe in this behalf.

13.1 नाइजीरिया से उक्त गवाह को बुलाने की स्थिति में होने वाली असुविधा के सवाल पर , ध्यान देने योग्य यह है कि अपीलकर्ता ने प्रार्थना की कि संबंधित चिकित्सक देश में उपलब्ध नहीं है,उसके साक्ष्य लेने के लिए धारा 284 और 285 सीआरपीसी के तहत कमीशन जारी करके आदेश पारित किया जा सकता है । अपीलार्थी ने आवेदन में कहा, अन्य बातों के साथ, जोकि इस प्रकार है: -

"That however witness is residing in foreign and post-mortem was conducted also there, hence witness should be summoned through High Commission of Nigeria or order may be passed of taking evidence record on commission after issuing commission U/s 284, 285 in CrPC through video conferencing in case of not coming from foreign."

13.2 *अपीलार्थी की पूर्वोक्त प्रासंगिक प्रस्तुतियाँ भी रही हैं जिनको ट्रायल कोर्ट व उच्च न्यायालय द्वारा अनदेखा किया है । अपीलकर्ता की ऐसी प्रार्थना से निपटने के उद्देश्य के लिए ट्रायल कोर्ट इस न्यायालय के निर्णयों से मार्गदर्शन ले सकता था जिसमे* महाराष्ट्र राज्य बनाम डॉ. प्रफुल्ल बी. देसाई. (2003) 4 एससीसी 601 जहां यह

कोर्ट ने गवाह के साक्ष्य को दर्ज करने की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी जब गवाह मिला तो वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपराधिक सुनवाई संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले / निवास करते हैं लेकिन जिनके साक्ष्य थे अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित मामले के लिए आवश्यक। यह न्यायालय ने देखा, निम्नानुसार-

"20. Recording the evidence by video-conferencing also satisfies the object of providing, in Section 273, that evidence be recorded in the presence of the Accused. The Accused and his pleader can see the witness as clearly as if the witness was actually sitting before them. In fact the Accused may be able to see the witness better than he may have been able to if he was sitting in the dock in a crowded Court room. They can observe his or her demeanour. In fact the facility to play back would enable better observation of demeanour. They can hear and rehear the deposition of the witness. The Accused would be able to instruct his pleader immediately and thus cross-examination of the witness is as effective if not better. The facility of play back would give an added advantage whilst cross-

examining the witness. The witness can be confronted with documents or other material or statement in the same manner as if he/she was in Court. All these objects would be fully met when evidence is recorded by video-conferencing. Thus no prejudice, of whatsoever nature, is caused to the Accused. Of course, as set out hereinafter, evidence by videoconferencing has to be on some conditions."

तत्पश्चत इस न्यायालय ने धारा 284 आवर 285 सी अरे पी सी के सन्दर्भ में यह प्रतिपादित किया है-

"22. ….. Thus in cases where the witness is necessary for the ends of justice and the attendance of such witness cannot be procured without an amount of delay, expense or inconvenience which, under the circumstances of the case would be unreasonable, the Court may dispense with such attendance and issue a commission for examination of the witness. …… Normally a commission would involve recording evidence at the place where the witness is. However advancement in science and technology has now made it possible to record such evidence by way of

video-conferencing in the town/city where the Court is. Thus in case where the attendance of a witness cannot be procured without an amount of delay, expense or inconvenience the Court could consider issuing a commission to record the evidence by way of videoconferencing."

13.3 वर्तमान मामले में भी, जहां गवाह डॉ आई युसुफ नाइजीरिया में रहते हैं तो गवाह को असुविधा से बचने के लिए तथा अन्य पार्टियों के लिए भी, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कमीशन जारी करके और उसके साक्ष्य दर्ज करना एक व्यवहार्य विकल्प प्रतीत होता है; और ट्रायल कोर्ट को भी अपेक्षित कदम उठाना चाहिए था यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके साक्ष्य रिकॉर्ड करने में कम से कम पार्टियों और गवाह को असुविधा न हो ।

14. यह स्पष्ट रूप से दर्शित है की विचारणीय न्यायालय ने धारा 311 सीआरपीसी के तहत आवेदन का निस्तारण पर्णतः अप्रासंगिक तरीके से किया है और उच्च न्यायालय भी धारा 482 सीआरपीसी के तहत अपने अधिकार क्षेत्र की शक्तियों का प्रयोग करने में विफल रहा है व प्रकरण के जरूरी

पहलुओ को अनदेखा किया है, व हमारे अनुसार उक्त आवेदन धारा 311 सीआरपीसी के तहत स्वीकार करने योग्य है ।

15. हमने प्रकरण के गुण अवगुण पर कोई टिपणी नहीं की है व विचारण न्यायालय प्रकरण की सुनवाई विधि सम्मत व पत्रावली पर आयी साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ही करे ।

16. यह अपील इस तारीखे व हद तक स्वीकार की जाती है की आदेश दिनांक 31.05.2018 और 02.08.2018 रद्द किया जाता है और यह प्रार्थना पत्र धारा 311 का लगाया गया था वो स्वीकार किया जाता है । विचारणीय न्यायालय हर संभव तरीके से वीडियो कोंफ्रेंसेसिंग से गवाहों के कथनो की रिकॉर्डिंग करे अन्यथा आयोग गठित करके गवाहों के परिक्षण का प्रयास करे व प्रकरण की कार्यवाही को शीघ्र अतिशिग्रह पूर्ण करे ।

.....जस्टिस

(अभय मनोहर सप्रे)

.....जस्टिस

(दिनेश माहेश्वरी)

नई दिल्ली

अप्रैल 16, 2019

डिस्क्लेमर- शाब्दिक भाषा में अनुवादित निर्णय मुकदमेबाज पक्षों के प्रतिबंधित उपयोग के लिए है जिससे वह उसकी भाषा को समझे, इसके आलावा अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के क्षेत्र में अंग्रेजी संस्करण ही उपयोगी होगा ।